न्यायालय ... अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रा०प्र० 210/17
नारायण v/s लादु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-11-16	पत्रावली पेश हुई। कलमबन्द फर्दीहन उपस्थित। P.O. को आकस्मिक अवकाश पर है वास्ते दर्ज हेतु पत्रावली तथा अग्रिम आदेश भी पावत है। पत्रावली दिनांक 26-5-17 को पेश हो। B.O.
12-5-17	पत्रावली केन्द्र ...मारेली... को पेश हुई। आगामी दिनांक ...27.10.17... को पेश हो। एवं का आदेश यथावत रहेगा B.O.
2/11/17	पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल से [illegible] दर्ज कर [illegible] के [illegible] को सूचित व पत्रावली दिनांक 2/1/18 को वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा)
2/1/18	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। अतः पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/3/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
12/3/18	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश [illegible] है अतः पत्रावली दिनांक 14/3/18 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा
14/3/18	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित, जवाब विपक्षीगण 1 से 6 का पूर्व में पेश हो चुका है। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया

Scanned by CamScanner

प्रा०पत्र 20/17. नारायण v/s लादू

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गया। विवादग्रस्त अराजियात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने एडवर्स पजेसन के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है। क्योंकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर विपक्षीगण के पक्ष मे है। यदि स्थगन आदेश नही दिया गया तो भी प्रार्थीगण को कोई अपूर्णिय क्षति नही हो रही है। उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होकर विपक्षीगण के पक्ष मे है। इसलिए मैं प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा उचित नही समझती हूँ।	
आदेश	
अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।	
(हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Scanned by CamScanner